

20.04.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
पेरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख
प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की
बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी की मूल अपील में सिविल
कारावास की सजा निरस्त करने का निर्णय आज हो चुका है।
अतः इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कोई
कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

